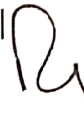


दिनांक	पीठारीत अधिकरी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का संकेत								
01/08/2026	परिवादी दशरथ के अधिवक्ता श्री वी.सी.मीणा उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के परिवार पत्र, परिवार के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य के शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकन से प्रकट है, कि अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचनार्थ परिवादी को निम्न लिखित चैक स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रदत्त किया। <table><tr><th>नाम</th><th>चैक नं०</th><th>देय तिथि</th><th>रूपया</th></tr><tr><td>SBI BANK शाखा MG ROAD प्रतापगढ</td><td>981527</td><td>15/12/2025</td><td>₹ 3,50,000/-</td></tr></table> परिवादी द्वारा उक्त चैक का भुगतान प्राप्त करने हेतु दिनांक-26/12/2025 को अपने बैंक ऑफ बडौदा, शाखा प्रतापगढ में उक्त चैक प्रस्तुत किया जो-Exceeds arrangement होने से अनादरित कर रिटर्न मैमों के साथ असल चैक परिवादी को लौटा दिया गया। परिवादी द्वारा अभियुक्त को उक्त सूचना देने पर अभियुक्त ने कुछ समय रूपयो की व्यवस्था हेतु मांगा लेकिन अभियुक्त तत्पश्चात् टालम टाली का जवाब देने लगा। परिवादी ने उक्त चैक पुनः अपने बैंक ऑफ बडौदा, शाखा प्रतापगढ में पेश किया, जिस पर उक्त चैक दिनांक-10/03/2026 को Exceeds arrangement होने से अनादरित कर रिटर्न मैमों के साथ असल चैक परिवादी को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी ने अभियुक्त को विधिवत् पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक-18/03/2026 को प्रेषित किया, जो अभियुक्त को दिनांक-24/03/2026 को प्राप्त हो गया। नोटिस का जवाब अभियुक्त ने परिवादी को नहीं दिया। अभि-युक्त ने उक्त नोटिस में दी गई समयावधि गुजर जाने के बावजूद चैक की राशि का भुगतान नहीं किया। तदुपरान्त नियत समयावधि में चैक की राशि अदा की गई हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। परिवादी ने नियत समयावधि में दिनांक-24/04/2026 को परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, परिवादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी रायपुर, पोस्ट कुलथाना ,तहसील एवं जिला प्रतापगढ(राज.)के विरुद्ध धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार प्रथम दृष्ट्या पाये जाते हैं।	नाम	चैक नं०	देय तिथि	रूपया	SBI BANK शाखा MG ROAD प्रतापगढ	981527	15/12/2025	₹ 3,50,000/-	दशरथ मनीष
नाम	चैक नं०	देय तिथि	रूपया							
SBI BANK शाखा MG ROAD प्रतापगढ	981527	15/12/2025	₹ 3,50,000/-							

अतः अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी रायपुर,
पोस्ट कुलथाना ,तहसील एवं जिला प्रतापगढ़(राज.)के विरुद्ध धारा-138
परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाता
है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर रे.फौ.हो। धारा-227BNSS(204CRPC) की पालना
होने पर अभियुक्त को जरिये सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते
तलबी मुल.दिनांक-29/10/2026 को पेश हो।


(दीप्ति स्वामी)

CJM PRATAPGARH